# न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

1. प्र. सं. 018/2025 (अपील रसद)
पंजीयन दिनांक 17.09.2025
GCMS NO :-2025/222

1 सरकार जरिये सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

2 विजय थालौड, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़

.....प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री सतपाल सिंह पिता मिलकीयत सिंह निवासी सैंती, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

2 सुभाषचन्द्र यादव पिता ब्रजलाल यादव निवासी मुम्बई

.....विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए सपठित** MS & HSD **आदेश, 2005 के तहत अभिगृहित सामग्री के निस्तारण बाबत।**

2. प्र. सं. 026/2026 (रै.वि.)
पंजीयन दिनांक 24.04.2026
GCMS NO :-2026/92

1 केनरजी इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. कार्यालय जी–36 फेज सैकेंड़, रिको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू जरिये नरेन्द्र सिंह देवन्दा अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार

......विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 बी.एन.एस.एस. सपठित धारा 6ई, आवश्यक वस्तु अधिनियम**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**उपस्थिति :- 1-पैरोकार सरकार, जिला रसद अधिकारी**
**2-श्री संजय सुवालका, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1**
**3-श्री सुनिल सुखवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2**
**4-श्री दिलीप कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थी प्रकरण संख्या 026/2026 (रे.वि.)**

## निर्णय

दिनांक 26.05.2026

उपरोक्त दोनों प्रकरण थाना सदर चित्तौड़गढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0299/2025 दिनांक 10.08.2025 अन्तर्गत धारा 3 एवं 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण से संबंधित होने से एक ही प्रकृति के होकर आपस में संबंधित होने से दोनों प्रकरणों को एक साथ सुना जाकर एक ही निर्णय द्वारा निर्णित किये जा रहे हैं निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण एवं कालाबाजारी की सदर थाना, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 08.08.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर मैं सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी मय प्रवर्तन निरीक्षक श्री विजय थालौड रिठोला चौराहा पर जांच हेतु पहुंचे। मौके पर पुलिस जाप्ता गोपाल सिंह हैड़ कानि. बैल्ट नं. 121, श्री तुलसीराम, सब इंस्पेक्टर, हीरालाल, ए. एस. आई. मय पुलिस एफआरवी (112) उपस्थित थे, साथ ही मौका स्थल पर एक सफेद रंग का टैंकर व सिल्वर रंग की मारूति वैन, खाने की होटल के पास, सड़क किनारे होटल की आड़ में खाली जगह पर खड़े पाये गये मौके पर निरीक्षण करने पर पता चला कि टैंकर में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है सिल्वर कलर की मारूति वैन नम्बर RJ 09 UA 0525 जिसके पास 20-20 लीटर के 02 जरीकेन पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए पाए गए। सफेद रंग का टैंकर नम्बर MH42 CE 2807 जो कि 7000 लीटर भराव क्षमता प्रति खण्ड, 5 खण्ड वाला लगभग आधी मात्रा में भरा पाया गया। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन एवं भण्डारण संबंधी दस्जावेज मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं होना पाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार प्रकरण में पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 2005 का उल्लंघन होना पाया जाने से अभिगृहित सामग्री को राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सुवालका एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल सुखवाल ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रकरण संख्या 026/2026 (रे.वि.) के अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार जैन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 बी. एन. एस. एस. 2023 के तहत पेश कर प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु पेश किया। थानाधिकारी, सदर चित्तौड़गढ़ से उक्त प्रकरण से संबंधित अनुसंधान पत्रावली तलब की गई। अनुसंधान पत्रावली प्राप्त होने तथा अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस किये जाने हेतु निवेदन किया तथा दोनों प्रकरण आपस में संबंद्ध होकर जब्तशुदा माल/सामग्री के निस्तारण से संबंधित होने से एक साथ बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार, जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का मुख्य कथन यह रहा कि थाना सदर चित्तौड़गढ़ से दिनांक 08.08.2025 को पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन एवं कालाबाजारी की सूचना मिलने पर सुमन तिवारी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ मय प्रवर्तन निरीक्षक विजय थालौड ने रिठोला चौराहा मौके पर पहुंच कर जांच की मौके पर पुलिस जाप्ता पहले से मौजूद था। मौका स्थल पर एक सफेद रंग का टैंकर जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या MH43 CE 2807 एवं एक सिल्वर रंग की मारूति वैन जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या RJ09 UA 0525 खड़े पाये गये मौके पर टैंकर में से पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से निकाल कर मारूति के पास पडे 20-20 लीटर के जरिकेन में भरते पाए गए एवं एक 45 लीटर की नीले रंग की बडी प्लास्टिक जरीकेन खाली जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ डालने के लिए पाईप से जुडी हुई पाई गई। मौके पर उपस्थित वाहनों के चालकों से नाम पता पूछने पर मारूति के चालक ने अपना नाम सतपाल सिंह पिता मिलकीयत सिंह निवासी सैंती चित्तौड़गढ़ एवं टैंकर के चालक ने अपना नाम सुभाष चन्द्र यादव पिता बृजलाल यादव निवासी मुम्बई होना बताया। टैंकर का मौका मुआयना करने पर टैंकर के नीचे की सीलें ढ़ीली एवं क्षतिग्रस्त हो रही थी और पांच कम्पार्टमेंट पर कुल तीन सीलें ही लगी पाई गई। टैंकर चालक से पेट्रोलियम पदार्थ निकालने के बारे मे पूछने पर उसने उक्त पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर थोडी-थोडी मात्रा में बेचना बताया जिससे उसके अतिरिक्त आय प्राप्त होना बताया। सतपाल सिंह से पूछताछ करने पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसने बताया कि वह गैराज का कार्य करता है और वाहनों में पेट्रोलियम संबंधी पदार्थों का प्रयोग करता है और टैंकरो से सीधा पेट्रोलियम पदार्थ निकलवाकर खरीदने का कार्य करता है। मौके पर दोनों से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन एवं भण्डारण के बारे में कोई वैध दस्तावेज होने के बारे में पूछने पर उनके द्वारा उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया। कार्यवाही के दौरान रात्रि 2.30 बजे जिला रसद अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक को फोन करने पर उनसे बातचीत नहीं हो पाने तथा पुनः 3.30 बजे शहर पुलिस अधीक्षक को फोन करने पर उनसे पुनः बातचीत नहीं होने तथा किसी स्थल से सेम्पल बॉक्स नहीं मिल पाने के कारण टैंकर मे पेट्रोलियम पदार्थ की उपलब्ध मात्रा का निर्धारिण नहीं किया जा सका किन्तु टैंकर में कुल 5 कम्पार्टमेन्ट होकर प्रत्येक 7000 लीटर क्षमता का होकर लगभग आधे भरे पाए गए। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर सेम्पल बॉक्स की व्यवस्था की जाकर जरीकेन में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का सेम्पल लिया गया कुल तीन बॉक्स में नमूना प्राप्त किया जिन्हें मार्का A1, A2 तथा A3 दिया गया। A1 सेम्पल एफ. एस. एल. जांच हेतु सदर पुलिस थाने में उपस्थित भागीरथ सालवी, कानि. बेल्ट नं. 557 की अभिरक्षा में दिया एवं सेम्पल A2 एवं A3 कार्यालय में सुरक्षित रखे गये। इस प्रकार मौक पर विपक्षीगण द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण एवं कालाबाजारी करना प्रमाणित पाये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

सतपाल सिंह एवं सुभाष चन्द्र यादव के विद्वान अधिवक्तागण का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षीगण का उक्त प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। विपक्षीगण का वाहन होटल के बाहर खड़ा था तथा विपक्षीगण मौके पर होटल में खाना खा रहे थे विपक्षीगण के वाहनों को पुलिस ने थाने ले जाकर खड़ा कर दिया तथा यह झूठा प्रकरण बनाया गया है। मौके पर विपक्षीगण द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर खरीद फरोक्त करने का किया गया कथन मिथ्या है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी {प्र.सं. 026/2026 (रे.वि.)} का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी कम्पनी केनरजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड़ बेस ऑयल का आयात करती है जिसके चलते कम्पनी ने उक्त बेस ऑयल टेनॉईट कम्पनी लि. ताईवान से इम्पोर्ट किया था दिनांक 06.08.2025 को उक्त बेस ऑयल मुम्बई पोर्ट पर पहुंचा जिसे बगरू पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कम्पनी एस. एस. पी. लॉजिस्टिक्स से सम्पर्क किया तो उन्होने उक्त माल को दिनांक 12.08.2025 तक जयपुर तक पंहुचाने के लिए स्वीकृति दी। उक्त बेस ऑयल एस. एस. पी. लॉजिस्टिक्स के वाहन संख्या MH43 CE 2807 के माध्यम से मुम्बई डॉक से माल जिसकी मात्रा 29950 किलो टैंकर में भरवाकर दिनांक 06.08.2025 को मुम्बई से रवाना हुआ। टैंकर के साथ वाहन चालक जिसका नाम सुभाष चन्द्र यादव है को भेजा गया जिसने चित्तौड़गढ में रिठोला चौराहा के पास उक्त तेल की चोरी करके अवैध रूप से अपने साथियों को बेचने लगा जिसके पश्चात् उक्त कार्यवाही हुई मौके पर सुभाष चन्द्र यादव को रंगे हाथों पकड़ा गया और टैंकर एवं उसमें भरा उक्त बेस ऑयल को अनुसंधान में जब्त किया गया। उक्त टैंकर में भरा ऑयल आज दिनांक को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कम आपूर्ति में उपलब्ध है एवं उक्त माल प्रार्थी कम्पनी के द्वारा क्रय किया हुआ माल है जिसके दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रस्तुत है अतः उक्त जब्तशुदा माल को प्रार्थी कम्पनी केनरजी इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. को सुपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार विपक्षीगण (सतपाल सिंह एवं सुभाष चन्द्र यादव) ने प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ से कोई संबंध-सरोकार नहीं होना बताया है जबकि दौराने कार्यवाही रिठोला चौराहे पर मौके पर वाहन टैंकर संख्या MH43 CE 2807 एवं वाहन मारूति वेन संख्या RJ 09 UA 0525 खडे पाये गये तथा टैंकर संख्या MH43 CE 2807 में से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर मारूति वेन संख्या RJ 09 UA 0525 के पास 20-20 लीटर की जरीकेन सफेद रंग की पेट्रोलियम पदार्थ से भरी हुई पाई गई। एक 45 लीटर की नीले रंग की बडी प्लास्टिक जरीकेन खाली जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ डालने के लिए पाईप से जुडी हुई पाई गई। मौके पर विपक्षीगण से पूछने पर उनके पास पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया। जबकि प्रार्थी कम्पनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

{प्र.सं. 026/2026(रे.वि.)} ने उक्त जब्तशुदा सामग्री/पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होकर बेस ऑयल होना एवं ताईवान से क्रय करना बताया है। प्रार्थी कम्पनी के अधिवक्ता ने प्रकरण में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ बेस ऑयल ही होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो। साथ ही इस न्यायालय में भी उक्त बेस ऑयल/पेट्रोलियम पदार्थ का कारोबार करने संबंधी असल/वैध दस्तावेज पेश नहीं किया ना ही उक्त सामग्री का असल बिल आदि प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय जरीकेन एवं अन्य सामग्री आदि राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 08.08.2025 को जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ (7000 लीटर प्रति खण्ड भराव क्षमता 5 खण्ड वाला) लगभग आधी मात्रा में भरा हुआ मय 20-20 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ एवं 45 लीटर क्षमता वाली नीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन मय पाईप को राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रार्थी कम्पनी {प्र.सं. 026/2026(रे.वि.)} द्वारा प्रस्तुत जी. एस. टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति के संदर्भ में भी आवश्यक जांच कर अवगत करावें। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

**(डॉ. मंजू)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official